International Journal of Information Movement *Vol. 8 Issue II* *(June2023)*
Website: www.ijim.in *ISSN: 2456-0553 (online)* **Pages** **39-41**

हरियाणा में कृषि वित्त की समस्याएं एवं सुधार

राजेश कुमार ,
सहायक प्राध्यापक राजकीय कन्या महाविद्यालय,
दादूपुर रोड़ान(करनाल)
Email:Id- rajeshsolanki28@gmail.com

हरियाणा राज्य पंजाब से अलग होकर 1 नवंबर 1966 को बना। हरियाणा राज्य पंजाब के 35% पिछड़े हुए इलाके को लेकर भारत का 17 वां राज्य बना। हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश और दिल्ली, साउथ में पंजाब है। वर्तमान में हरियाणा में 22 जिले ,6 मंडल हैं। हरियाणा का क्षेत्रफल 44212 वर्ग किलोमीटर है ,जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.84% है । 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की 65% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। कृषि ही उनका मुख्य व्यवसाय है, इसलिए कृषि वित्त की उनको बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार को कृषि वित्त संबंधी समस्याएं हैं उनका निवारण करना चाहिए। देश के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का हिस्सा लगभग 14% है कृषि उत्पादन के क्षेत्र में हरियाणा अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। कृषि विकास से औद्योगिक विकास होता है और औद्योगिक विकास से कृषि विकास । कृषि क्षेत्र में तकनीकी प्रयोग कृषि साख पर निर्भर करता है साख आसानी से उपलब्ध होगी, तो कृषि यंत्र,अच्छे बीज उपलब्ध हो सकेंगे । कृषि विकास के लिए अच्छी बैंकिंग सुविधाएं इंसुरेंस सुविधाएं बिजली की सुविधाएं चाहिएं।
हरियाणा प्रदेश देश में कृषि उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है । चावल उत्पादन में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता हरियाणा में राष्ट्रीय उत्पादकता से बहुत अच्छी है, खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भरता के साथ -साथ हम निर्यात भी कर रहे हैं । सब्जियों और फल उत्पादन में भी हमारा अच्छा स्थान है। उच्च जन्म दर ,अनपढ़ता ,रूढ़िवादिता ,असमानता इनमें भी हम विशेष स्थान रखतें हैं।

1.0 कृषि साख का अर्थ :-
कृषि करने के लिए किसान जो भी ऋण लेता है उसे कृषि साख कहते हैं ।
यह कई प्रकार का होता है और इसके कई स्रोत हैं औद्योगिकरण से कृषि ऋण अलग होता है क्योंकि कृषि असंगठित व्यवसाय हैं यह मौसम और प्राकृतिक कारणों पर निर्भर करता है ।

2.0 कृषि साख की आवश्यकता :-
कृषि साख उत्पादक कार्य जैसे भूमि सुधार के लिए ,बीज खरीदने के लिए, मजदूरी देने के लिए ,कृषि यंत्र खरीदने के लिए, सिंचाई सुविधाओं के लिए, कृषि उत्पादन खराब होने पर जीवन यापन के लिए, भी कृषि साख की आवश्यकता होती है।
समय के आधार पर कृषि साख का वर्गीकरण:-

2.1 अल्पकालीन ऋण ----जो ऋण 2 वर्ष से कम अवधि के लिए लिया जाता है उसे अल्पकालीन ऋण कहते हैं जैसे खाद ,बीज दवाई लेने के लिए।
2.2 मध्यकालीन ऋण :-जो ऋण 2 से 5 वर्ष की अवधि के लिए लिया जाता है उसे मध्यम कालीन ऋण कहा जाता है ।
2.3 **दीर्घकालीन ऋण** :-जो ऋण 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए लिए जाते हैं उन्हें दीर्घकालीन ऋण कहते हैं ।यह ऋण प्राय: दीर्घकालीन भूमि सुधार के लिए लिए जाते हैं जैसे और अधिक जमीन खरीदने के लिए, ट्रैक्टर लेने के लिए अन्य कृषि यंत्र लेने के लिए इत्यादि ।

3.0 कृषि साख के स्रोत:
कृषि साख के स्रोतों को दो भागों में बांटा जाता है।
3.1 संस्थागत स्रोत:
इसमें सहकारी समितियां ,व्यापारिक बैंक, नाबार्ड , क्षेत्रीय बैंक आते हैं, जो प्राय: नियम और कानून के अनुसार कृषकों को वित्त उपलब्ध करवाते हैं ।
3.2 गैर संस्थागत स्रोत :
जैसे महाजन और साहूकार, रिश्तेदार और सगे -संबंधी, व्यापारी ,जमींदार और आढ़तियों से ऋण लेना। यह ऋण किसी कानून के तहत नहीं लिए जाते और इनकी ब्याज दर भी अधिक होती है ।

4.0 नाबार्ड :_

कृषि वित के लिए नाबार्ड एक विशेष संस्था है जिसकी स्थापना 19 जुलाई 1982 को हुई यह बैंक अन्य बैंकों को भी कृषि के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है यह सीधा किसानों को ऋण नहीं देता बल्कि व्यापारिक बैंकों के कृषि वित संबंधित विभागों को देता है ।विश्व बैंक भी नाबार्ड को ऋण देता है अधिकतर किसान आढ़तियों से ही कृषि वित्त लेते हैं, क्योंकि यह आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। यद्यपि भारत में 60% लोग कृषि पर निर्भर हैं हमारे देश में कृषि उत्पादकता बहुत कम हैं देश में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार कृषि साख उपलब्ध करवा रही है ताकि किसान कृषि यंत्र और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए अन्य सुविधाएं ले सकें ।कृषि साख को विभिन्न बैंक प्रति एकड़ के हिसाब से कृषकों को उपलब्ध करवाई जाती है ।

- क्रेडिट कार्ड की जरूरत उत्पादक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जैसे बीज दवाइयां खाद कृषि यंत्र स्थाई भूमि सुधार करने के लिए ट्यूबवेल लगवाने के लिए मजदूरों को मजदूरी देने के लिए और उत्पादन बेचने के लिए।
- उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि साख की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि कृषक की आय ज्यादा नहीं होती सूखा और बाड़ में नुकसान की भरपाई के लिए कृषि आवश्यक है। अनुत्पादक कार्यों के लिए भी कृषकों को साख की जरूरत होती है जैसे शादी- ब्याह, कानूनी विवाद, जन्मदिन ,मृत्यु भोज । कृषि साख दो प्रकार के होते हैं :उत्पादक साख और अनउत्पादक साख ।साख लेने के लिए निम्न शर्तें जरूरी हैं :

1. कम से कम 1 एकड़ जमीन का होना जरूरी है।
2. किसी भी बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
3. वह पागल ना हो ।

5.0 कृषि साख के स्रोत :

5.1 संस्थागत स्रोत : जिसमें व्यापारिक बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, नाबार्ड । संस्थागत स्रोत से बहुत कम ब्याज दर पर कृषि ऋण प्राप्त किए जा सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियम बनाए जाते हैं इसमें कृषकों का शोषण नहीं होता ।

5.2 गैर संस्थागत स्रोत : गैर संस्थागत स्रोत वो स्रोत हैं जहां ऋण लेने के लिए कोई कानूनी नियम नहीं होते ऐसे स्रोत कृषकों को अधिक ब्याज दर पर बिना अधिक औपचारिकताओं के ऋण प्रदान करते हैं जैसे जमींदार एवं साहूकार ,रिश्तेदार ,व्यापारी कमीशन एजेंट इत्यादि।

5.3 चुनौतियां व समाधान : प्रतिदिन कृषि साख संबंधित समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। यद्यपि कृषि साख संस्थाएं इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रही हैं। अधिकतर किसान उत्पादक कार्य करने की बजाय अनउत्पादक कार्यों के लिए ऋण लेते हैं जैसे शादी के लिए ऋण ,जन्मदिन मनाने के लिए ऋण, मृत्यु भोज के लिए ऋण।

1. कृषकों को समझाया जाना चाहिए कि कृषि साख का प्रयोग उत्पादक कार्यों में ही किया जाना चाहिए ताकि उनका विकास हो सके। किसान की आर्थिक हालत अधिक अच्छी नहीं होती वह गरीबी को ही अपना भाग्य समझ लेते हैं ऋण की मात्रा उन पर बढ़ती चली जाती है जिसके कारण वह और गरीब होते चले जाते हैं गैर संस्थागत स्रोतों से कृषक अधिक ऋण लेते हैं और यह गैर संस्थागत स्रोत कृषकों से अधिक ब्याज दर वसूलते हैं जिसे बाद में कृषक के लिए चुकाना आसान नहीं होता।

2. भौगोलिक क्षेत्र भी कृषि साख पर अपना प्रभाव डालता है जहां संस्थागत साख स्रोत नहीं होते वहां कृषक को ऊंची ब्याज दर पर उधार लेना पड़ता है परिणामस्वरूप वे अपना ऋण नहीं चुका पाते।

3. कृषि साख लेने के लिए कृषक को बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं ताकि सरकारी बैंक से ऋण लिया जा सके औपचारिकताओं से डरकर कृषक गैर संस्थागत स्रोतों से ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेने को विवश हो जाते हैं ।विकसित देशों की तुलना में हमारे देश में कृषि साख पर ब्याज दर अधिक है और कृषि उत्पादकता कम है। संस्थागत स्रोत आसानी से कृषकों को लोन नहीं देते यह औपचारिकताएं ज्यादा करवाते हैं जिसके कारण कृषकों को गैर संस्थागत स्रोतों की तरफ रुख करना पड़ता है ।

4. सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार ज्यादा है जिस कारण जरूरतमंद किसान उचित साख नहीं ले पाते क्योंकि सरकारी संस्थाएं औपचारिकताएं ज्यादा करवाती हैं । कृषि साख में सुधार होना चाहिए कम से कम औपचारिकताएं होनी चाहिए किसानों को अधिक से अधिक कृषि वित्त उपलब्ध करवाया जाना चाहिए ताकि वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। कम ब्याज दर पर कृषकों को साख दिया जाए और ऋण वापसी में कुछ छूट भी दी जानी चाहिए।

5. कृषि साख के लिए कम से कम औपचारिकताएं होनी चाहिए बैंकों में कुशल कर्मचारी होने चाहिए ताकि बिना रिश्वत के किसानों को कृषि साख दिया जा सके।

6. कृषि वित्त का प्रयोग केवल उत्पादक कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए तभी किसानों का विकास हो सकता है ।

6.0 निष्कर्ष :

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि कृषि साख ग्रामीण युवाओं में रोजगार का सृजन करता है। बैंक में शिक्षित, कुशल, और ईमानदार व्यक्तियों का चयन होना चाहिए ताकि वह बगैर भ्रष्टाचार के कृषि साख के उद्देश्यों को पूरा सकें। सरकार को जरूरतमंद किसानों को आसानी से साख उपलब्ध करवानी चाहिए। नई- नई स्कीम कल्याण के लिए चलाई जानी चाहिए। कृषि प्रकृति पर निर्भर करती है कभी बाढ़ आ जाती है कभी सूखा पड़ जाता है इस नुकसान की भरपाई के लिए किसानों की मदद की जानी चाहिए ।अगर फसल खराब हो जाती है तो किसानों को बीमा राशि उपलब्ध करवाई जानी चाहिए । किसानों को कम ब्याज दर पर कृषि साख उपलब्ध करवाई जानी चाहिए ताकि किसान आसानी से ऋण की अदायगी कर सकें। किसानों को गैर संस्थागत स्रोतों के चंगुल से बचाने के लिए अधिक से अधिक व्यापारिक बैंकों की शाखाएं खोलने चाहिए ताकि और अधिक किसान कृषि साख का लाभ प्राप्त कर सके और अपना गुजारा कर सकें।

7.0 संदर्भ सूची :

i. पी.सी.जैन भारत में कृषि विकास
ii. डॉ. एस.पी.डॉनयाल भारतीय कृषि की समस्याएं
iii. डोनाल्ड. जे. ईपीपी इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स
iv. प्रभास रतन झा भारत में कृषि एवं आर्थिक विकास
v. वी.के.जैन इकोनामिक फार्म इन इंडिया
vi. मिश्रा एंड पुरी भारतीय अर्थव्यवस्था
vii. रमेश शर्मा भारतीय कृषि